

# कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

क्रमांक :- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/पदौपद०/16/730


दिनांक :- 05.12.2016

## कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदौन्नति समिति की अभिशंषानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) के पदो पर रिक्त/नियमित डीपीसी से पदौन्नत शिक्षको के सलंगन जिलेवार सूची में अंकित नाम के आगे चयन वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने के फलस्वरूप नियमानुसार पे बैंड पीबी-2 (9300-34800) ग्रेड पे 3600/4200 में पदौन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। पूर्व से ही उक्त या उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिको को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

यह पदस्थापन आदेश निम्न शर्तों के अध्याधीन जारी किये जाते हैं:

1. इन कार्मिको को अपने पदौन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक 16.12.2016 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुए उनका पदौन्नति परित्याग माना जायेगा।
2. संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदौन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदौन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे। यदि पदौन्नत कार्मिक पदौन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है, तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदौन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर मण्डल जोधपुर को स्वीकृति हेतु दिनांक 21.12.2016 तक अनिवार्यतः भिजवा दे। संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में पदौन्नति परित्याग करने का इन्द्राज अनिवार्य रूप से करें।
3. इन कार्मिको को कार्यग्रहण करते समय राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (1) डीओपी/ए-II /95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही होने का प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होगा।
4. संबंधित संस्था प्रधान द्वारा आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिको को कार्यमुक्त किया जावे अन्यथा भिन्नता की स्थिति में तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
5. यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित है/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नही किया जावे एवं संबंधित नियन्त्रण अधिकारी जरिये ईमेल [ddsecedujodhpur@gmail.com](mailto:ddsecedujodhpur@gmail.com) एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
6. सूचि में अंकित कार्मिको के वर्तमान कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया है, तो इनके परिवर्तित वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करावे।
7. यह पदौन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओ व डी बी सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 में प्रदत्त अन्तिम आदेश व अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगें।
8. सूची में अंकित कार्मिक यदि अन्तर मण्डल स्थानान्तरित हो गये हैं, तो यह आदेश लागू नहीं होगा।

  
(नूतनबाला कपिला)


उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

दिनांक :- 05.12.2016

क्रमांक :- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/पदौपद०/16/730

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, शिक्षा (ग्रुप 2) विभाग राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
3. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा
6. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित संस्था प्रधान
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा संस्था प्रधान
9. अवधायक ईडी शाखा स्थानीय कार्यालय
10. रक्षक पंजिका

  
उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

**कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर**


क्रमांक - ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/पदो/पदो/16/730

दिनांक - 05.12.2016

विषय - उर्दू

आदेश संख्या - 1

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता वर्ष	नाम तृतीय श्रेणी अध्यापक	जाति वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	7668	1999-2000	हीना कौसर / हमीदुद्दीन खान राउप्रावि बम्बा	सामान्य	25-08-75	2013-14	राबाउमावि बम्बा, जिला - जोधपुर
2	7712	1999-2000	श्रीमती आयशा बानो / मंसूर अली राउप्रावि शिवरोड, पावटा, गणेशपुरा	सामान्य	13-11-76	2010-11	राउमावि महिलाबाग, जिला - जोधपुर
3	20	2007-2008	श्रीमती नाहीद परवीन / अब्दुल लतीफ काजी राउप्रावि रेल्वे रनिंग शेड जोधपुर	सामान्य	11-10-77	2013-14	राउमावि उदय मन्दिर, जिला - जोधपुर
4	1603 A	2007-2008	शबनम / अब्दुल गफार राबाउप्रावि गुडानाल सिवाना	सामान्य	08-08-83	2013-14	राबामावि प्रताप नगर, सूरसागर जिला - जोधपुर
5	9179	2000-2001	अकमल नईम / हुसैन अहमद राउप्रावि नयातालाब जोधपुर	सामान्य	13-04-74	2013-14	रा महात्मा गांधी उमावि, जिला - जोधपुर
6	11365	2004-2005	श्री इस्माईल खान / श्री उम्मेद खान राउमावि चिन्नु	सामान्य	10-10-79	2013-14	रामावि कोतवाली जिला - जोधपुर
7	117 B	2007-2008	गणेशाराम / धन्नाराम राप्रावि पीरुजी की ढाणी, डिडाणियां	सामान्य	25-12-78	2013-14	राउमावि झलारिया, पोकरण जिला - जैसलमेर
8	537 A	2007-2008	फयाज अहमद / नियाज अहमद खान राप्रावि जूनीया बेरा किंजरी	सामान्य	19-12-69	2013-14	राउमावि पुलिस लाइन, जिला - जोधपुर
9	548 A	2007-2008	बरकत खां / ढाकू खां राप्रावि बीरमखां की ढाणी रुपसर बलाड जैसलमेर	सामान्य	01-07-79	2013-14	राउमावि बान्हेवा, पोकरण जिला - जैसलमेर
10	775 A	2007-2008	उमरदीन / रायधन खां रामावि बडली चारणान	सामान्य	02-10-80	2013-14	राउमावि भणियाणा, पोकरण जिला - जैसलमेर
11	1033 C	2007-2008	वसीम बाबर / लियाकत अली राउप्रावि डिगा, जैसलमेर	सामान्य	26-07-84	2013-14	राउमावि कालीबेरी, जिला - जोधपुर
12	1247	2007-2008	भरे खान सिन्धी / भीके खान सिन्धी राबाउमावि रोहिडा, सिरोही	सामान्य	25-03-72	2013-14	राउमावि मलार, पीपाड शहर जिला - जोधपुर
13	1261 A	2007-2008	वाजिद अली / मोहम्मद फारुक राउप्रावि बावली, सिरोही	सामान्य	14-05-80	2013-14	राउमावि सिन्धी नगर, बिलाडा जिला - जोधपुर

  
 उप निदेशक (माध्यमिक)  
 शिक्षा विभाग, जोधपुर

# कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

क्रमांक :- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/पदौपद0/16/731


दिनांक :- 05.12.2016

## कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदौन्नति समिति की अभिशंषानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) के पदो पर रिक्त/नियमित डीपीसी से पदौन्नत शिक्षको के सलग्न जिलेवार सूची में अंकित नाम के आगे चयन वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने के फलस्वरूप नियमानुसार पे बैंड पीबी-2 (9300-34800) ग्रेड पे 3600/4200 में पदौन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। पूर्व से ही उक्त या उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिको को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

यह पदस्थापन आदेश निम्न शर्तों के अध्याधीन जारी किये जाते हैं:

1. इन कार्मिको को अपने पदौन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक 16.12.2016 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुए उनका पदौन्नति परित्याग माना जायेगा।
2. संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदौन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदौन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे। यदि पदौन्नत कार्मिक पदौन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है, तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदौन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर मण्डल जोधपुर को स्वीकृति हेतु दिनांक 21.12.2016 तक अनिवार्यतः भिजवा दे। संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में पदौन्नति परित्याग करने का इन्द्राज अनिवार्य रूप से करें।
3. इन कार्मिको को कार्यग्रहण करते समय राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (1) डीओपी/ए-II /95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही होने का प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होगा।
4. संबंधित संस्था प्रधान द्वारा आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिको को कार्यमुक्त किया जावे अन्यथा भिन्नता की स्थिति में तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
5. यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित है/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नही किया जावे एवं संबंधित नियन्त्रण अधिकारी जरिये ईमेल [ddsecdujodhpur@gmail.com](mailto:ddsecdujodhpur@gmail.com) एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
6. सूचि में अंकित कार्मिको के वर्तमान कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया है, तो इनके परिवर्तित वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करावें।
7. यह पदौन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओं व डी बी सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 में प्रदत्त अन्तिम आदेश व अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगें।
8. सूची में अंकित कार्मिक यदि अन्तर मण्डल स्थानान्तरित हो गये हैं, तो यह आदेश लागू नहीं होगा।

  
(नूतनबाला कपिला)


उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

दिनांक :- 05.12.2016

क्रमांक :- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/पदौपद0/16/731

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, शिक्षा (ग्रुप 2) विभाग राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
3. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा
6. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित संस्था प्रधान
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा संस्था प्रधान
9. अवधायक ईडी शाखा स्थानीय कार्यालय
10. रक्षक पंजिका

  
उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर


क्रमांक - ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/पदो/16/731

दिनांक - 05.12.2016

विषय - उर्दू

आदेश संख्या - 1

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता वर्ष	नाम तृतीय श्रेणी अध्यापक	जाति वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	13513	2005-2006	नसीम परवीन / शेख अब्दुल रशीद राउप्रावि सिन्धियों की ढाणी चिचड़ली	सामान्य	20-02-67	2013-14	रामावि खेराजाणियों की ढाणी, धोरीमन्ना जिला - बाडमेर
2	8033	1999-2000	सीमा रानी काजी / रमजान मोहम्मद राउप्रावि, जुनावास बालेसर (जोधपुर)	सामान्य	15-10-74	2010-11	राउमावि जैसलमेर, जिला - जैसलमेर

  
उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर